उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 9 | 1-15 मई 2022 | ₹ 20/-

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा

- कृष्ण जन्मभूमि का विवाद
- अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य
- सीनाई प्रायद्वीप में 11 मिस्री सैनिक मारे गए
- तब्लीगी मरकज को खुला रखने का आदेश

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा 04
कृष्ण जन्मभूमि का विवाद 06
देशद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की चोट 08
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास 12
दिल्ली का कुतुब मीनार विवादों के घेरे में 13
उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य 16

विश्व

अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य 17
तालिबान विरोधियों का पंजशीर के अनेक स्थानों पर कब्जे का दावा 20
पाकिस्तान में जांच आयोग की घोषणा 20
इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध 21
रूस के 25 हजार से अधिक सैनिक मारे गए 22

पश्चिम एशिया

सीनाई प्रायद्वीप में 11 मिस्री सैनिक मारे गए 23
अमेरिका तुर्की को विमान बेचने के लिए तैयार 24
आतंकी संगठन हमास के नेता इजरायल के निशाने पर 25
संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख का निधन 26
हाजियों के लिए स्मार्टफोन अनिवार्य 26

अन्य

तब्लीगी मरकज को खुला रखने का आदेश 27
तब्लीगी जमात को राहत 27
उर्दू घर का निर्माण 27
हाजियों के लिए विश्व स्तर का बैगेज 28
बिना लाइसेंस गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई 28

सारांश

विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुओं की आस्था पर जो आघात किए थे उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। अयोध्या हो, वाराणसी हो या फिर मथुरा हमारी कोई भी पवित्र भूमि इन आक्रांताओं के निशाने से नहीं बच सकी। अब यह जरूरी हो गया है कि हिंदुओं के साथ हुए अन्याय का निराकरण किया जाए। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी शाही मस्जिद के कलंक को मिटाने का समय अब आ गया है। काशी विश्वनाथ के प्राचीन और पवित्र मंदिर को आक्रांताओं ने अनेक बार ध्वस्त किया और हिंदू अपने इस आस्था केंद्र का निरंतर पुनर्निर्माण करते रहे। धर्मांध औरंगजेब ने शाही फरमान जारी करके काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का इस्लामीकरण किया था। इन दोनों स्थानों पर जो मस्जिदें बनाई गई थीं वे आज भी मौजूद हैं। ये दोनों मस्जिदें हिंदुओं के हृदय के लिए नासूर हैं। चाहिए तो यह था कि मुसलमान स्वत: हिंदुओं के इन दोनों आस्था केंद्रों को उन्हें लौटाकर सद्भावना के वातावरण का निर्माण करते, मगर वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जिहादी मनोवृति वाले लोग आज भी हिंदुओं को धमका रहे हैं।

दिल्ली के महरौली स्थित विष्णु स्तंभ को तलवार के बल पर कुतुब मीनार में बदला गया था। इसी परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम आज भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर किए गए कुठाराघात के रूप में मौजूद है। क्या इसे न्याय कहा जाएगा कि मुसलमानों को तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार प्राप्त है, जबकि हिंदू अपने आराध्य देवी-देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकते।

यह बात वास्तव में बेहद खेदजनक है कि सरकार देश में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ जब भी कोई कदम उठाती है तो उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। कांग्रेसी और वामपंथी अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का राजनीतिक रूप से जो फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं वह वास्तव में निंदनीय है।

अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता में आने के बाद शरिया कानून सख्ती से लागू कर दिए हैं। वहां की महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो महिला इस तालिबानो आदेश का उल्लंघन करेगी उसे न सिर्फ कैद की सजा दी जाएगी, बल्कि उसके अभिभावकों को भी जेल में जाने के साथ-साथ नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही तालिबान ने महिलाओं को शिक्षा और नौकरी से भी वंचित कर दिया है। यहां तक कि उन्हें बाजार एवं पार्कों में जाने की भी अनुमति नहीं है।

ईरान इन दिनों पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद परमाणु अस्त्र-शस्त्रों के विकास में लगा हुआ है। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे, वे उसे अपने परमाणु लक्ष्यों की प्राप्ति से डिगाने में सफल नहीं हुए हैं। अमेरिका यह प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम जगत में ईरान को अलग-थलग कर दिया जाए। अमेरिका का यह प्रयास है कि ज्यादा-से-ज्यादा अरब देशों को इजरायल के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए तैयार किया जाए। यही कारण है कि अब तक कम-से-कम सात कट्टर मुस्लिम देश अमेरिका के दबाव पर इजरायल से राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं।

इंडोनेशिया ने हाल ही में पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। इन देशों में भारत भी शामिल है। क्योंकि भारत खाद्य तेलों के मामले में विदेशों पर निर्भर हैं। दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल को भारी क्षति पहुंची है। तो कनाडा में कैनोला और रेपसीड की उपज कम होने के कारण खाद्य तेलों के विश्व बाजार में भारी तेजी आई है। खाद्य तेलों के इस संकट का देश की अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त असर पड़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा

इंकलाब (15 मई) के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों और अन्य हिस्सों में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। सर्वे टीम मस्जिद स्थित चार तहखानों में गई। इनमें से कुछ तहखाने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के कब्जे में है और उनमें इतेजामिया कमेटी ने ताला लगा रखा था। प्रारंभ में इतेजामिया कमेटी ने सर्वेक्षण करवाने से इंकार कर दिया था, मगर बाद में दोनों पक्षों के बीच हुई अदालती सुनवाई के बाद वह सर्वे करवाने के लिए तैयार हो गई। इस सर्वे की रिपोर्ट गुप्त रूप से न्यायालय में पेश की जाएगी। इससे पूर्व इतेजामिया कमेटी ने यह शिकायत की थी कि न्यायालय ने सर्वे के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किए हैं उन पर उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि वे सर्वे के दौरान सीमेंट को हाथ से हटाकर देखने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इन कमिश्नरों को जो भी सर्वे करना है वह मस्जिद के बाहरी हिस्से का होना चाहिए। उन्हें मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मगर न्यायालय ने इन सभी आपत्तियों को सख्ती से रद्द कर दिया और इंतेजामिया कमेटी को यह निर्देश दिया कि वह इस सर्वे में पूर्ण सहयोग दे।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार इतजामिया कमेटी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में हस्तक्षेप करें और यथास्थिति को बनाए रखें। किंतु मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कागजात को देखे बिना किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी कि वाराणसी की स्थानीय अदालत का निर्देश भारतीय संसद द्वारा पारित उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के खिलाफ है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि न्यायालय को इस मामले पर

तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मामला है। इससे पूर्व वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एक वकील अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के तहत आती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वाराणसी को एक अदालत ने उपासना स्थल अधिनियम को पूरी तरह से नजरअंदाज करके ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा मस्जिद का सर्वे करवाने का विरोध किया जा रहा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि निचली अदालत का आदेश संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है। हम एक बार बाबरी मस्जिद को गंवा चुके हैं और अब किसी भी कीमत पर किसी भी मस्जिद को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे।

रोजनामा सहारा (12 मई) ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से मुसलमानों में बहुत बेचैनी है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कमिश्नरों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की कड़ी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी कर रहे हैं। सर्वे से पूर्व वाराणसी के जिलाधिकारी शर्मा ने हिंदू और मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सर्वे के दौरान नगर में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने का आग्रह किया गया था। समाचारपत्र ने कहा है कि आम तौर पर जुमे की नमाज में जितने नमाजी आते हैं उससे कई गुना ज्यादा नमाजी इस बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे। उन्हें तलाशी के बाद मस्जिद में जाने की अनुमति दी गई थी।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शृंगार गौरी की पूजा के संबंध में 18 अगस्त 2021 को सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में राखी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने एक याचिका दायर करके इस बात की मांग की थी कि उन्हें इस मंदिर में पूरे वर्ष पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाए। बाद में राखी सिंह ने इस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया था।

टिप्पणी : मुस्लिम इतिहासकार फिरिश्ता ने दावा किया है कि महमूद गजनवी ने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तबाह किया और उनकी अकूत संपदा को लूटा तथा लाखों लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। प्रत्येक मुस्लिम आक्रमणकारी ने मंदिरों को अपना निशाना बनाया। उन्हें लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और अनेक मंदिरों को मस्जिदों में

बदल दिया। सन मार्टिन ने अपनी पुस्तक में पुरातत्व प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि औरंगजेब ने इस देश में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया और उन्हें मस्जिदों में बदला। इनमें विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। 1664 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर पहला हमला किया था, जिसे नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में आत्मबलिदान देकर विफल कर दिया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं के परम पवित्र बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं।

अनेक विदेशी इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद के समीप प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरावशेष दबे हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त किया, मगर इस मंदिर का पुनर्निर्माण 13वीं शताब्दी में कुछ गुजराती व्यापारियों ने किया, जिसे बाद में जौनपुर के शर्की सुलतानों ने पुन: मिट्टी में मिला दिया। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी की फौज ने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया, जिसका नवनिर्माण अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने करवाया। इसी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था।

वर्तमान मंदिर जो कि पुराने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित ह उसका निर्माण इंदौर की महारानो अहिल्या बाई होल्कर ने करवाया था। बताया जाता है कि उनके ससुर मलहार राव होल्कर ने 1742 में इस बात का प्रयास किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए, मगर अवध के नवाबों के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिल्या बाई होल्कर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में करवाया था। यह मंदिर विश्वनाथ के मूल मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से कुछ दूरी पर स्थित है। इसी मंदिर को पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 40 मन सोना दान दिया था जो कि आज भी इस मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ा रहा है। ■

कृष्ण जन्मभूमि का विवाद

अवधनामा (8 मई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में अपना फैसला सुना दिया है और मथुरा की एक न्यायालय को यह निर्देश दिया है कि वह चार महीने के अंदर इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को निपटाए। यह निर्देश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की खंडपीठ ने दिया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश मनीष यादव की याचिका पर दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालतों में चल रहे सभी मुकदमों को इकट्ठा करके उनकी एक साथ सुनवाई की जाए, ताकि उनका जल्द-से-जल्द निपटारा किया जा सके। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशव देव में स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिराकर वहां पर एक मस्जिद और ईदगाह बनाई थी। गत वर्ष कुछ हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा रखकर पूजा करने की घोषणा की थी, मगर पुलिस की सख्ती के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए थे।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद क सर्वे के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि की वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर से जांच करवाने की याचिका एक स्थानीय अदालत में दी गई है। इलाहाबाद उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि अगर शाही ईदगाह की ओर से मुकदमे के पैराकार सुन्नो वक्फ बोर्ड आदि न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो न्यायालय एकतरफा फैसला कर सकती है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद तीन याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं, जिनमें शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर द्वारा करवाने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर मथुरा का न्यायालय 1 जुलाई को सुनवाई करेगा।

टिप्पणी: इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि श्रीकृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे। इस संबंध में अनेक दस्तावेजी और पुरावशेष प्रमाण उपलब्ध हैं। 1950 में कटरा केशव देव के उत्खन्न के दौरान एक वेदिका प्राप्त हुई थी, जिस पर ब्राह्मो लिपि में यह लिखा हुआ था कि कृष्ण जन्मस्थान पर उनके पोते ने जो निर्माण करवाया था उसी की मरम्मत करवाई जा रही है। यह शिलालेख ईसा पूर्व 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसके अतिरिक्त मथुरा संग्रहालय में एक कुएं से प्राप्त भगवान श्रीकृष्ण की एक प्राचीनतम प्रतिमा भी उपलब्ध है जो कि कार्बन डेटा परीक्षण के अनुसार 2500-2700 वर्ष पुरानी बताई जाती है। कृष्ण जन्मस्थान विदेशी आक्रांताओं के निरंतर निशाने पर रहा। अनेक बार इन आक्रांताओं ने उसे ध्वस्त किया मगर श्रद्धालुओं द्वारा उसका पुनर्निर्माण का सिलसिला भी जारी रहा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सुल्तान महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला करके वहां के भव्य मंदिरों को निर्ममतापूर्वक लूटा और उनमें आग लगाकर उन्हें पूर्णत: नष्ट कर दिया। अलबरूनी ने लिखा है कि सुल्तान ने जिस भव्य मंदिर को ध्वस्त किया है उसका निर्माण करने पर कम-से-कम एक करोड़ दरम खर्च हुआ होगा और इसका निर्माण कम-से-कम 10000 कारीगरों ने 20 वर्ष की निरंतर मेहनत के बाद किया होगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोदी द्वारा भी कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त किए जाने के बारे में एतिहासिक लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने सम्राट जहांगीर को गद्दी दिलाने में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके पुरस्कार स्वरूप ओरछा नरेश से जब मुगल सम्राट जहांगीर ने पुरस्कार मांगने के लिए कहा तो जूदेव ने कहा कि उन्हें कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का

निर्माण करने की अनुमति दो जाए। इस पर 52 लाख रुपये के खर्च से एक सात खंड उंचा भव्य मंदिर बनवाया था, जिस पर जलने वाला दीपक आगरा के राजमहल में दिखाई देता था। इस भव्य मंदिर का विस्तृत विवरण औरंगजेब के शासनकाल में आने वाले अंग्रेज यात्री बर्नियर ने अपन यात्रा वृतांत में किया है। 1670 में औरंगजेब के निर्देश पर इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मथुरा और वृंदावन स्थित 3000 से अधिक अन्य मंदिर भी ध्वस्त कर दिए गए। औरंगजेब के फरमान के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उन्हें आगरा ले जाया गया जहां उन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया, ताकि नमाजी नमाज अदा करते समय इन मूर्तियों को पांव तले कुचल सकें। एक गुजराती व्यापारी ने इसी स्थल पर एक नए मंदिर का नवनिर्माण करवाया, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने अपने हमले के दौरान पुनः ध्वस्त कर दिया। अब्दाली का प्रतिरोध नागा साधुओं ने किया और 5000 से अधिक नागा साधु आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हुए मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव के उस भूखंड को नीलाम करवा दिया, जहां कभी यह मंदिर हुआ करता था। 1950 में महामना मदन मोहन मालवीय और जुगल किशोर बिड़ला के प्रयासों से कृष्ण जन्मभूमि पर एक नए मंदिर का निर्माण किया गया। बताया जाता है कि उस उत्खनन में वह मूल गर्भगृह भी मिला था, जिसके एक शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि वहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। 1950 में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के प्रबंध समिति के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि उनका आपस में कोई विवाद नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 मई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें यह मांग की गई थी कि ताजमहल की निचली मंजिल में बंद पड़े 22 कमरों को खोला जाए, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि वहां पर कोई हिंदू मूर्ति मौजूद है या नहीं? इस याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय आर न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल के बारे में गहरे अध्ययन के बाद ही इस तरह याचिका दायर की जानी चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि "आप पीआईएल कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले इस बात का अध्ययन करें कि ताजमहल कब और किसने बनवाया था। आपको इतिहास में पीएचडी करना चाहिए। पहले विश्वविद्यालय जाएं और वहां ताजमहल के बारे में पीएचडी करने के बाद आएं। इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जा सकता।" यह याचिका अयोध्या के भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की थी और उन्होंने इन कमरों की जांच करने के लिए राज्य सरकार से एक कमेटी गठित करने की मांग की थी।

देशद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की चोट

रोजनामा सहारा (12 मई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में देशद्रोह के मामले में कार्रवाईयां करने पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जब तक सरकार इस कानून पर पुनर्विचार नहीं कर लेती तब तक देशद्रोह के मामले में कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक बेंच ने कहा है कि देश में नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के हितों को देखते हुए यह जरूरी है कि कोई संतुलित कानून बनाया जाए।

न्यायालय ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) वर्तमान सामाजिक माहौल के अनुसार नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि जब तक गद्दारी के कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक कोई नया मुकदमा इस सिलसिले में दर्ज न किया जाए। न्यायालय ने इस मामले पर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक पुनर्विचार करने का भी संकेत दिया है और कहा है कि उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वह अगले फैसले तक लागू रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल के बारे में कई उदाहरण दिए थे। जैसा कि हनुमान चालीसा के पाठ के मामले में इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने सरकार के उस तर्क को मानने से इंकार कर दिया कि अगर देशद्रोह के बारे में कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस मामले की निगरानी पुलिस आयुक्त के पद का अधिकारी करेगा।

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि देशद्रोह के मामले में मुकदमे दर्ज करने को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1962 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने इस कानून को बनाए रखने पर निर्णय दे चुकी है, मगर न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल की इस दलील को मानने से इंकार कर दिया। इससे पूर्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा था कि इस कानून पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने न्यायालय को यह जरूर आश्वासन दिया था कि देशद्रोह के मामले में जमानत के जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा। आतंकवादी संगठनों को धनराशि उपलब्ध करवाने से संबंधित मामलों को भी इसी कानून के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। इसलिए हमें न्यायालय के विवेक पर भरोसा करने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानन् पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सरकार को यह निर्देश दिया था कि यह कानून गुलामी के युग की निशानी है, इसलिए इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोह के संबंध में दर्ज विभिन्न मुकदमों के

सिलसिले में दायर याचिका के सिलसिले में दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायालय को राय दी कि न्यायपालिका एवं अन्य संस्थानों को लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए न्यायपालिका को भी सरकार का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक संगठन को स्पष्ट सीमा है और किसी को लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस न कहा है कि सत्तारूढ़ दल को आईना दिखाना देश के प्रति गद्दारी नहीं हो सकती। कांग्रेस ने कहा है कि 2019 के लोक सभा चुनाव के घोषणापत्र ने कांग्रेस ने गद्दारी के कानून को रद्द करने का जो वायदा किया था वह सही था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विट में कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है गद्दारी नहीं, सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राज हठ है।

इत्तेमाद (10 मई) के अनुसार केंद्र सरकार ने गद्दारी के कानून पर यूटर्न लेते हुए कहा है कि सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू न कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों के समय के कानून को बदलने का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर किया गया है। प्रधानमंत्री इस कानून को रद्द करने के समर्थन में हैं और हम ऐसे कानूनों को रद्द करने का काम सत्ता में आने के बाद से कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 1500 से अधिक कानून रद्द किए जा चुके हैं। समाचारपत्र के अनुसार कई पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके देशद्रोह के कानून को रद्द करने की मांग की थी।

रोजनामा सहारा (10 मई) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया है और कहा है कि देश से गद्दारी ऐसे ही है जैसे अपनी मां से गद्दारी। देशद्रोह करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनसे सख्ती से निपटना चाहिए, मगर यदि यह आरोप लगे कि सत्तारूढ़ दल या सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इस कानून के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है तो इस कानन की जरूरत पर विचार करना चाहिए और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने क लिए जरूरी है कि इस काले कानून को रद्द कर दिया जाए। देश के न्यायतंत्र का हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि किसी निर्दोष को सजा न हो। इस कानून पर पुनर्विचार करने के लिए यदि सरकार पहले ही तैयार हो जाती तो पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इस कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं करवानी पड़तो। समाचारपत्र ने कहा है कि वर्तमान

सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कानून के तहत बेतहाशा मुकदमे दर्ज किए गए। 2016 से 2019 तक धारा 124ए के तहत दर्ज किए जाने वाले मुकदमों की संख्या में 160 प्रतिशत वृद्धि हुई। जबकि सजा केवल तीन प्रतिशत मुकदमों में ही हुई है। इससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

इंकलाब (13 मई) में सिराज नकवी ने अपने लेख में यह आरोप लगाया है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद देशद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है। इससे इस बात का संदेह उत्पन्न होता है कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप की जांच एक अलग मुद्दा है, मगर क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा के शासनकाल में देशद्रोहियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। इस कानून के तहत 2014 स 2019 तक 326 मुकदमे दर्ज किए गए, मगर अभी तक सिर्फ छह लोगों को ही सजा सुनाई गई। इससे साफ होता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने या तो सही ढंग से जांच नहीं की या फिर उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार को यह निर्देश देना पड़ा कि वह इस कानून के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज न करे।

सियासत (10 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि केंद्र सरकार अपनी पुरानी जिद्द छोड़कर देशद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है। समाचारपत्र ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हमारा समाज (12 मई) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में यह आवाज उठ रही थी कि सरकार यूएपीए और राष्ट्रद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस कानून द्वारा उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है जो कि सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हालांकि यह कानून कोई नया नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने का है। 1870 से अंग्रेजी सरकार ने विभिन्न नामों से इसका इस्तेमाल शुरू किया था। पहले कांग्रेस ने पोटा की आड़ में इस कानून का इस्तेमाल किया और अब भाजपा सरकार इसे यूएपीए के नाम से अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह काला कानून ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जिनका दोष सिर्फ यह था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे या भाषण दिए थे या उसकी विभिन्न कार्रवाईयों का विरोध किया था।

इत्तेमाद (12 मई) ने अपने संपादकीय में देशद्रोह के कानून पर रोक को सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की संज्ञा दी है और कहा है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है विपक्षी पार्टियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के खिलाफ इस काले कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष भी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार से पूछा था कि अंग्रेजों की गुलामी की यादगार इस कानून को क्यों अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस कानून के तहत 800 केस दर्ज किए गए और इसके तहत 13000 निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंसा गया। जब इस कानून का इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि सरकार इस काले कानून को रद्द करने के प्रश्न पर शीघ्र ही फैसला करेगी।

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास

देश में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माणों को गिराने का जो अभियान चल रहा है उसे कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने सांप्रदायिक रूप दे दिया है। जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, खरगोन और उज्जैन में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई को मुस्लिम संगठन सांप्रदायिक मोड़ देकर जनभावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजरों ने आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में बरेलवी संप्रदाय के विख्यात मदरसा अल जमीयतुल अशरफिया क अध्यापकों की कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। सरकार का यह दावा है कि यह कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। जब यह कार्रवाई की गई तो रमजान के कारण यह मदरसा बंद था और अधिकांश छात्र और अध्यापक वहां मौजूद नहीं थे। जब इस सरकारी कार्रवाई की सूचना इस संस्थान के प्रमुख हाजी सरफराज अहमद को मिली तो उन्होंने टेलीफोन द्वारा अधिकारियों से अनुरोध किया कि अभी यह कार्रवाई कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, मगर अधिकारियों ने उनकी मांग को मानने से इंकार कर दिया।

इसी समाचारपत्र ने विश्व सुन्नी सूफी आंदोलन के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद मंजर हुसैन खान अशरफी का एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि योगी सरकार जानबूझकर एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि जमीयतुल अशरफिया अंतरराष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा संस्थान है। इसलिए उसको ध्वस्त करना सरासर गलत है। उन्होंने आरोपल लगाया कि इस समय इस देश में कोई कानून नहीं है और सांप्रदायिक तत्वों की मनमानी चल रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मई) के अनुसार मुबारकपुर के बाद कानपुर के एक इस्लामिक मदरसे पर भी योगी का बुलडोजर चला है। घाटमपुर में एक इस्लामिक मदरसा का निर्माण एक

निजी भूमि पर किया गया था जो कि बाकायदा खरीदी गई थी। इसके बावजूद सरकार ने यह दावा किया है कि यह मदरसा सरकारी जमोन पर अवैध रूप से बनाया गया था। मदरसे के प्रिंसिपल ने एसडीएम अनुप चौधरी को इस मदरसे की भूमि की खरीद से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए थे, मगर उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया और इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। मदरसा की इंतेजामिया कमेटी ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई के दौरान कुरान पाक की भी तौहीन की गई है। जबकि घाटमपुर के एसडीएम अनुप चौधरी ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह मदरसा क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, इसलिए इसे ध्वस्त किया गया है।

इत्तेमाद (8 मई) ने कहा है कि अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि दिल्ली की जहांगीरपुरी क्षेत्र में सांप्रदायिक झड़पों के बाद मुसलमानों के मकानों और दुकानों को बुलडोजर से यह कहकर ध्वस्त कर दिया गया कि उनसे हनुमान जयंती की यात्रा पर पथराव हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के भी कुछ हिस्सों को बुलडोजरों द्वारा ध्वस्त किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस समय देश की मस्जिदें और मदरसे सरकार के निशाने पर हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकरों द्वारा अजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सड़कों पर नमाज पढ़ने को भी जबरन रोक दिया गया है। इसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए।

इसी संदर्भ में कानपुर जिले के एक दीनी मदरसे को भी अवैध निर्माण का हवाला देकर मिट्टी में मिला दिया गया। इससे पूर्व मुबारकपुर में भी जामिया अशरफिया को भो बुलडोजर का निशाना बनाया गया था। हाल ही में शाहीन बाग में भी बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, मगर जनाक्रोश को देखते हुए उन्हें वापस जाना पड़ा। बाद में पुलिस ने इस संदर्भ में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। समाचारपत्र ने लिखा है कि सरकारी बुलडोजरों का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हैं।

दिल्ली का कुतुब मीनार विवादों के घेरे में

औरंगाबाद टाइम्स (11 मई) ने आरोप लगाया है कि अतिवादी हिंदू संगठन अब कुतुब मीनार पर भी अपना दावा करने लगे हैं। 40 से अधिक लोगों ने कुतुब मीनार क्षेत्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी, जिनको पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर ले गई। इसके बाद कुतुब मीनार परिसर में किसी भी व्यक्ति के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की अपील पर हिंदूवादी संगठन मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में पूजा करने को अनुमति देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ पोस्टर भी उठा रखा था, जिसमें लिखा था, 'कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए।'

गौरतलब है कि दिल्ली के एक वकील विष्णु शंकर जैन ने साकेत कोर्ट में कुछ महीने पूर्व एक याचिका दायर करके कहा था कि मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम क्योंकि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई है इसलिए इसे उनके अनुयायियों को वापस किया जाए। साकेत कोर्ट के न्यायाधीश ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मई) के अनुसार महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब

मीनार क पास हनुमान चालीसा का पाठ किया, मगर पुलिस ने उनको परिसर के अंदर जाने से पहले ही रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई है, इसलिए हिंदुओं को मस्जिद में मौजूद मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए या इन मूर्तियों को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां श्रद्धालू उनकी पूजा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है, मगर मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में आज भी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां काफी संख्या में मौजूद हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उन्हें मस्जिद नहीं कहा जा सकता और न ही मुसलमान उसमें नमाज अदा कर सकते हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कहा है कि अब भगवा पार्टी से संबंधित लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए कुतुब मीनार और ज्ञानवापी मस्जिद आदि पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। हालांकि लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उनका असली लक्ष्य क्या है।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में भारतीय पुरातत्व विभाग ने नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी और कहा है कि आज के बाद यहां नमाज अदा नहीं की जाएगी। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम के इमाम ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले 46 वर्षों से वे नमाज अदा करवाते रहे हैं। लेकिन अब अचानक पुरातत्व विभाग ने उन्हें यह आदेश दिया है कि यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत है इसलिए अब यहां नमाज नहीं होगी। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उपर से ऐसा आदेश आया है। यह मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। कानून के अनुसार जब किसी उपासना स्थल को भारतीय पुरातत्व विभाग अपने नियंत्रण में लता है तो उस समय अगर वहां पूजा-अर्चना या नमाज अदा की जा रही हो तो उसे रोका नहीं जा सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वह इस फैसले को

अदालत में चुनौती देंगे। वक्फ बोर्ड के हाफिज मोहम्मद जावेद ने इस फैसले को कानून के खिलाफ करार दिया और कहा कि भगवा पार्टी के दबाव पर पुरातत्व विभाग कठपुतली की तरह नाच रहा है। वक्फ बोर्ड के अनुसार कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में फज्र की नमाज को छोड़कर बाकी चारों नमाज निरंतर पढ़ी जा रही है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम नियुक्त कर रखा है जो कि पिछले 46 वर्ष से निरंतर नमाजियों को नमाज पढ़ा रहा है। वक्फ बोर्ड उसे मासिक भत्ता भी देती है। वक्फ बोर्ड ने इमाम को आदेश दिया है कि वे नमाज पढ़ाना जारी रखें, मगर इसके बावजूद जुमे के दिन मस्जिद के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई। नमाज से पूर्व कुतुब मीनार परिसर में स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यालय में इमाम मौलाना मोहम्मद साइब को बुलाकर यह निर्देश दिया गया कि यह मस्जिद पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है और यहां नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। इमाम ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास दस्तावेजी प्रमाण है, मगर सरकार उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों न उन्हें मस्जिद परिसर में जाने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा सामान और नमाज अदा करने के लिए बिछाई जाने वाली चट्टाईयां भी हटाने की अनुमति नहीं दी गई है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में संपर्क किया था और उन्हें वे दस्तावेज दिखाए थे, जिसके तहत वहां 50 वर्ष से नमाज अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक पार्टी की मनमानी है जिसका हम विरोध करेंगे। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले पुरातत्व विभाग से संबंधित परामर्शदाता बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य तरूण विजय ने यह सलाह दी थी कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा को वहां से हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाए, मगर हिंदू संगठनों के विरोध के कारण वे इस प्रतिमा को संग्रहालय में नहीं भिजवा पाए।

टिप्पणी: जहां तक कुतुब मीनार का संबंध है यह ईंटों से बनी विश्व की सबसे उंची मीनार है। इसकी उंचाई 72.5 मीटर है और इसका व्यास 14.3 मीटर है। शिखर पर इसका व्यास पौने तीन मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। बताया जाता है कि इस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने तीन मंजिलों तक इसका निर्माण किया। 1368 में फिरोजशाह तुगलक ने उस पर और दो मंजिलों का निर्माण करवाया। इस मीनार का सबसे पहला उल्लेख अरब पर्यटक इब्न बतूता ने किया है। उसने लिखा है कि इसे सात खंड का मीनार कहा जाता था और इस पर मोहम्मद तुगलक का शाही ध्वज लहराता था। इस मीनार की तीन मंजिलें लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाई गई ह, जबकि दो मंजिलों में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस मीनार पर कुरान की आयतें अंकित हैं। कुतुब मीनार परिसर में अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भवन भी माजूद हैं। इनमें से मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम उल्लेखनीय है। यह भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद बताई जाती है।

भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके किया था। आज भी इस मस्जिद में सैकड़ों हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इसके खंभे हिंदू वास्तुकला का शानदार नमूना है और उन पर घंटियां, कमल का फूल और पवित्र कलश आदि हिंदू प्रतीक बने हुए हैं। इस मस्जिद परिसर में एक लौह स्तंभ है, जिसे विष्णु ध्वज बताया गया है। इस लौह स्तम्भ पर

ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में एक लेख है, जिसके अनुसार इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह यहीं मौजूद था या इसे विदेशी आक्रांता किसी अन्य जगह से उखाड़कर लाए थे। इस परिसर में इलाही दरवाजा और अधूरा इलाही मीनार के अतिरिक्त इल्तुतमिस और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आदि शामिल है।

1971 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब यहां उत्खन्न का कार्य करवाया तो उसमें अनेक प्राचीन हिंदू प्रतिमा मिली थीं, जो कि आजकल राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य

अवधनामा (13 मई) के अनुसार योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी इस्लामिक मदरसों में राष्ट्रगान (जन गण मन) को गाना अनिवार्य करार दिया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि प्रत्येक मदरसे में सुबह कक्षा शुरू होने से पूर्व दुआ के साथ राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा। इसे 12 मई से अनिवार्य रूप से गाने का निर्देश दिया गया है। रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित अर्थात सभी मदरसों में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान का गायन होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 16513 मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 मार्च को परिषद की बैठक में यह फैसला किया था।

इंकलाब (15 मई) के अनुसार जनता दल (यू) के नेता डॉ. खालिद अनवर ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा है कि यह फरमान देश को गुमराह करने वाला और मुसलमानों को उकसाने वाला है। राष्ट्रगान को प्रारंभ से ही गाया जाता है। यह निर्देश जारी करके सरकार ने जानबूझकर विवाद उत्पन्न किया है। डॉ. अनवर ने कहा कि मुसलमानों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वालों को देश के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। या वे जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। मदरसा जामिया शेख उल हिंद के प्रबंधक मौलाना मुफ्ती असद कासमी का कहना है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है।

विश्व

अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य

रोजनामा सहारा (8 मई) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश भर में महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों को कैद की सजा के साथ-साथ नौकरियों से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह आदेश तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर से जारी किया गया है। यह फरमान राजधानी काबुल में आयोजित एक समारोह के बाद जारी किया गया है। इस फरमान के तहत सभी महिलाओं को चादर ओढ़नी होगी और उन्हें अपनी आंखों के अतिरिक्त पूरे चेहरे को पूर्ण रूप से ढकना होगा। तालिबान सरकार ने कहा है कि जो महिलाएं इस आदेश का उल्लंघन करेंगी उनके पिता या नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा।

महिलाओं के बारे में यह सबसे बड़ा फैसला हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने किया है। इससे पूर्व हालांकि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं था, मगर जब से तालिबान सत्ता में आए हैं, महिलाओं ने डरकर बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। जैसे ही तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली थी उन्होंने बर्का न पहनने वाली महिलाओं को गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया था और इस संदर्भ में अनेक महिलाओं की हत्या की गई थी। इससे पूर्व भी जब अफगानिस्तान में तालिबान (1996 से 2001 तक) सत्तारूढ़ थे, तब उन्होंने बहुत सख्ती से शरिया कानून को लागू कर दिया था। इस बार भी सत्ता संभालने के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद कर दिए गए। जब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान की सत्ता का अफगानिस्तान में खात्मा हो गया तो बड़े शहरों में महिलाओं ने पर्दा करना बंद कर दिया था और पश्चिमी लिबास पहनकर कॉलेजों और कार्यालयों में जाना शुरू कर दिया था।

इससे पूर्व अफगानिस्तान साम्राज्य के शासक अमानुल्लाह खान को इसलिए मुल्लाओं के दबाव

पर 1929 में गद्दी छोड़कर विदेश भागना पड़ा था, क्योंकि उनकी बेगम बुर्का नहीं पहनती थी और पश्चिमी लिबास पहना करती थी। इस पर कट्टरपंथी मुल्लाओं ने अमानुल्लाह खान के खिलाफ फतवा जारी किया था। बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए अमानुल्लाह खान को भागकर इटली में शरण लेनी पड़ी थी। परंपरागत रूप से अफगानिस्तान में प्रारंभ से ही कट्टरपंथी मुल्लाओं के प्रभाव के कारण महिलाओं के लिए सख्त पर्दे का चलन है और उनके लिए उच्च शिक्षा और नौकरियों के दरवाजे बंद हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अफगान सरकार ने अफगान महिलाओं के लिए पार्कों में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें यह आदेश दिया गया था कि वे घर से बाहर आकर सरकारी कार्यालयों में नौकरियां न करें। इस कड़े फैसले के कारण 20 हजार महिला शिक्षकों की नौकरी चली गई थी। अमेरिका ने यह घोषणा की थी कि अगर अफगान सरकार किशोरियों और महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए कदम नहीं उठाती तो अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान को किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं देगी और न ही अफगान सरकार को मान्यता ही प्रदान की जाएगी।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार अफगान सरकार ने रात्रि के समय होटलों में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ इकट्ठा होने या खाना खाने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस को इस बात का निदेश दिया गया है कि वे गैर शादी-शुदा महिलाओं और पुरुषों को आपस में मिलने-जुलने और दावतों में जाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।

रोजनामा सहारा (इंकलाब 12 मई) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुर्का को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया और 'इंसाफ-इंसाफ' के नारे लगाए। उन्होंने नकाब नहीं पहन रखे थे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे कि बुर्का हमारा हिजाब नहीं है। प्रदर्शन का समाचार मिलते ही शस्त्र तालिबान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने

जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीडिया को भी यह निदश दिया कि वे इस प्रदशन के बारे में कोई खबर न दें। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि हम इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। जानवरों की तरह घर के एक कोने में कैद रहकर हम जिंदा नहीं रह सकते।

तालिबान सरकार ने एक आदेश यह भी जारी किया है कि जो महिला बुर्का नहीं पहनेगी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके अभिभावकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने यह घोषणा की थी कि इस बार वे शरिया कानून को पहले की तरह सख्ती से लागू नहीं करेंगे और महिलाओं तथा बच्चों के प्रति नरम रूख अपनाया जाएगा। इसके बाद तालिबान ने काफी संख्या में सड़कों पर बेपर्दा महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था और यह पता नहीं चला कि इन महिलाओं का क्या हश्र हुआ है। मीडिया को यह निर्देश दिया गया है कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई भी समाचार प्रकाशित करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान सरकार द्वारा बुर्का को अनिवार्य घोषित करने के खिलाफ अधिवेशन में चर्चा करने की घोषणा की है।

रोजनामा सहारा (11 मई) के अनुसार अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर अफगान सरकार ने महिलाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की घोषणा नहीं की तो उन्हें इसके खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सरकार तालिबान से इस बात का अनुरोध कर रही है कि वह बुर्का को अनिवार्य ठहराने और सड़कों पर महिलाओं के बाहर निकलने पर प्रतिबंध के साथ-साथ स्कूल-कॉलेजों और दफ्तरों में महिलाओं के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को मानवाधिकारों का हनन मानती है। इसलिए तालिबान पर हर तरह का दबाव डालकर उन्हें इस बात के लिए विवश किया जाएगा कि वे इन फैसलों को वापस लें।

इंकलाब (11 मई) के अनुसार नोबल पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई ने अफगान सरकार द्वारा महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है और कहा है कि यह फैसला महिलाओं को शिक्षा और नौकरियों से वंचित रखने के लिए उठाया गया है और यह मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इस पर अफगान सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए।

सियासत (12 मई) ने अफगान सरकार द्वारा महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया है और इसे इस्लाम और शरीयत के अनुसार बताते हुए कहा है कि इस्लाम की बुनियादी शिक्षा यही है कि महिला बेपर्दा होकर घर से बाहर न निकले क्योंकि अगर वह बेपर्दा घर से बाहर निकलती हैं तो शैतान उसे ताकता है। इस्लाम में ह्या को ईमान करार दिया गया है। हदीस में कहा गया है कि जहां ह्या है वहां ईमान है। जहां ह्या नहीं है वहां ईमान नहीं है। समाचारपत्र ने लिखा है कि जो लोग इन प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं उन्हें महिलाओं के बेपर्दा होने पर इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति में महिलाओं की इज्जत की कोई कल्पना ही नहीं है। अगर कोई सरकार इस्लाम और शरीयत को लागू करती है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अवधनामा (11 मई) ने भी अपने संपादकीय में कहा है कि पर्दा करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। अगर कोई सरकार ऐसे इस्लामिक कानून लागू करती है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि बेहतर होगा कि बदलते हुए हालात को देखते हुए तालिबान अपने रूख में कुछ नरमी बरतें।

तालिबान विरोधियों का पंजशीर के अनेक स्थानों पर कब्जे का दावा

इंकलाब (9 मई) के अनुसार तालिबान विरोधी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे द्वारा गठित नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उनके सैनिकों ने तालिबान को पंजशीर के मोर्चों पर हुए युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया है और उनसे तीन जिले छीन लिए हैं। अभी युद्ध जारी है और हमें आशा है कि हमारी सेना शीघ्र ही पूरे पंजशीर पदेश को तालिबान के पंजे से मुक्त करवा लेगी। इस फ्रंट के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पंजशीर के ग्रामीण इलाकों में तालिबान और फ्रंट के बीच चल रहे युद्ध में तालिबान को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। इस समय अफगानिस्तान के 12 प्रदेशों में फ्रंट और तालिबान के सैनिकों में युद्ध हो रहा है और अफगानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र तालिबान के हाथ से निकल गया है। जबकि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि विदेशी मीडिया ने अहमद मसूद के सैनिकों की विजय के जो समाचार दिए हैं वह मनगढंत हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना मसूद की सेना का डटकर मुकाबला कर रही हैं और हमने अपने किसी भी इलाके को खाली नहीं किया है।

पाकिस्तान में जांच आयोग की घोषणा

रोजनामा सहारा (6 मई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने एक जांच आयोग बनाने की घोषणा की है जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस आरोप की जांच करेगा कि उनकी सरकार का तख्ता पलटने के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। इस आयोग के गठन की घोषणा करते हुए पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस आयोग का अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा, जिसके बारे में कोई भी पाकिस्तानी उंगली न उठा सके। यह जांच आयोग निष्पक्ष होगा। इस आयोग की जो भी रिपोर्ट होगी उसे पाकिस्तान सरकार पूरी ईमानदारी से लागू करेगी। उन्हांने कहा कि वे लोग जिन्होंने देश को झूठी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, उन्हें कानूनी कठघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विदेशी साजिश का आरोप अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए लगाया जा रहा है। देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने वाले लोग अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पुराने सत्तारूढ़ साजिशी टोले ने चार वर्ष तक इस देश को लूटा। आज पाकिस्तान की जो आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण इमरान खान सरकार का भ्रष्टाचार और लूट है। इमरान खान के सत्ताकाल

में आटा, चीनी, घी और दवाईयों की कीमतें सबसे ज्यादा रहीं। जबकि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही पाकिस्तानी जनता को कमरतोड़ महंगाई से राहत दी है। अब एक-एक किलो चीनी के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। आज जनता को चार वर्ष के बाद सिर्फ दो सप्ताह में सस्ता आटा, चीनी और घी मिल रहा है। इमरान खान सरकार ने अपने घरों को भरने के लिए पाकिस्तानी जनता के खजाने को दोनों हाथों से लूटा था और उसका नतीजा पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ा था। उन्होंने कहा कि सच्चाई जनता के सामन आ जाएगी और जनता को यह फैसला करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।

सियासत (12 मई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार इस वर्ष के अंत तक देश में नए चुनाव करवाने के लिए तैयारी कर रही है। समाचारपत्र ने यह भविष्यवाणी की है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन में बैठे-बैठे रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं और वे शीघ्र ही वापस पाकिस्तान आकर पुनः सत्ता संभाल सकते हैं। इस संदर्भ में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से विचार-विमर्श के लिए लंदन जा रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के कई अन्य नेता भी जाएंगे, जिनमें अहसन इकबाल, मिफताह इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगजब, ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्ला, मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तरार शामिल हैं।

सियासत (3 मई) के अनुसार पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सऊदी सरकार ने उसे आठ बिलियन डॉलर सहायता देने की घोषणा की है। यह फैसला हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान सऊदी नेताओं के साथ बातचीत में किया गया है। समाचारपत्र के अनुसार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही निरंतर कमी को देखते हुए सऊदी सरकार ने यह फैसला किया है।

इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध

अवधनामा (1 मई) के अनुसार देश में बढती महंगाई को रोकने के लिए इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार इंडोनेशिया की इस घोषणा के बाद विश्व भर में खाद्य तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। फ्रांस के वित्तीय विशेषज्ञ ने कहा है कि विश्व को पहले से ही दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल तबाह होने और कनाडा में कनोला के उत्पादन में आई गिरावट के कारण खाद्य तेलों के संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के कारण सूर्यमुखी के तेल का निर्यात भी लगभग ठप हो गया है। इसके कारण खाद्य तेलों के संकट ने और भी भीषण रूप धारण कर लिया है। एलएमसी के प्रमुख जेम्स फ्राई के अनुसार पाम ऑयल खाद्य तेलों का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व भर में खाद्य तेलों का जो इस्तेमाल होता है उसमें 35 प्रतिशत हिस्सा इंडोनेशिया के पाम ऑयल का होता है। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से विश्व भर में खाद्य तेलों के मूल्य में भारी तेजी आने की संभावना है।

इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि पाम ऑयल क निर्यात पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि पाम ऑयल के भंडार को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता और वह खराब हो जाता है। अब विश्व की खाद्य तेलों के मामलों में अमेरिका और ब्राजील पर निर्भरता बढ़ गई है, क्योंकि इनके पास सोयाबीन तेल के विशाल भंडार हैं। दुनिया में रेपसीड तेल का निर्यात करने वाले मुख्य देश कनाडा ने कहा है कि रेपसीड की खेती में जो 10 प्रतिशत कटौती हुई है, उसके कारण रेपसीड के मूल्यों में वृद्धि आने की संभावना है। खाद्य तेल संकट का सबसे बुरा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि वह अपने खाद्य तेल की जरूरतों के लिए 80 प्रतिशत विदेशों पर निर्भर है।

रूस के 25 हजार से अधिक सैनिक मारे गए

इत्तेमाद (8 मई) के अनुसार यूक्रेन के सेना प्रमुख ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक 25 हजार रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उसके 199 विमान, 155 हलीकॉप्टर, 1122 टैंक, 2000 बख्तरबंद गाड़ियां, 509 तोपें, 172 रॉकेट लांचर सिस्टम और 84 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस युद्ध में तबाह हुए हैं। 25 मार्च को रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में 1351 रूसी सैनिकों के मारे जाने की घोषणा की थी। इसके बाद रूस ने इस युद्ध में हुए अपनी क्षति के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जबकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के आधुनिकतम हथियारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इनमं रूस का सबसे अत्याधुनिक टैंक टी-90एम भी शामिल है। इस युद्ध के कारण विभिन्न यूरोपीय देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके कारण रूस को अत्याधुनिक उपकरण बनाने के लिए जरूरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे प्राप्त करने में भी परेशानी होगी।

रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के कई वायुयान गिरा दिए हैं और यूक्रेन क अस्त्र-शस्त्र भंडारों को तबाह कर दिया है। रूस यूक्रेन के 24 महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डों को भी तबाह कर चुका है। रूसी तोपों ने यूक्रेन के 280 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है और चार दर्जन से अधिक विमानों को तबाह किया है। रूस का दावा है कि उसकी सेना अब तक यूक्रेन के 151 विमानों, 112 हेलीकॉप्टरों, 742 ड्रोन, 290 एयर डिफेंस सिस्टम, 3000 से भी अधिक टैंकों, 330 बख्तरबंद गाड़ियों और 1400 से अधिक तोपों को तबाह कर चुकी है।

पश्चिम एशिया

सीनाई प्रायद्वीप में 11 मिस्री सैनिक मारे गए

राजनामा सहारा (9 मइ) क अनसार मिस्र के क्षेत्र सीनाई प्रायद्वीप में इस्लामिक आतंकवादियों के हमले में कम-से-कम 11 मिस्री सैनिक मारे गए हैं। मिस्र के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सिनाई क्षेत्र में स्वेज नहर के समीप स्थित क्षेत्र को विदेशी चंगुल से मुक्त करवाने के लिए मिस्री सेना ने एक अभियान चलाया था। आतंकवादी स्वेज नहर को जबरन बंद करवाना चाहते थे। इस सैनिक कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों के साथ मिस्री सेना का मुकाबला हुआ, जिसमें अनेक आतंकी मारे गए, मगर इस हमले में 11 मिस्री सैनिक भी मारे गए और पांच जख्मी हो गए। मिस्र के राष्टपति अब्दुल फतह अल-सिसी ने इस हमले में मारे गए मिस्री सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हम इन गद्दार आतंकवादियों को हर कीमत पर समाप्त करके ही दम लेंगे।

गौरतलब है कि गत दिनों स्वेज नहर के पूर्व में वाटर पंपिंग स्टेशन पर कब्जे को लेकर आतंकवादियों की मिस्री सैनिकों के साथ झड़पें हुई थीं। इसके बाद मिस्र ने इस युद्ध में अपने बहुत सारे सैनिक झोंक दिए हैं और इन आतंकवादियों का पीछा किया जा रहा है जो कि वहां से भागकर सोनाई रेगिस्तान में चले गए हैं। मिस्री सरकार ने यह दावा किया है कि इन आतंकियों के गिरोह का नाम विलायत सिनाई है और इन्हें विदेशी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। इस क्षेत्र में 2011 से मिस्री सेना और इस्लामिक आतंकियों के बीच झड़पें हो रही हैं। आईएसआईएस ने यह दावा किया है कि मिस्री सैनिकों पर यह हमला उनके ही संगठन विलायत सिनाई ने किया था और इसका उद्देश्य अमेरिका की कठपुतली मिस्र की सेना को क्षति पहुंचाना था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका गत कई दशकों से इस क्षेत्र में इस्लामिक आतंकवादियों के सफाए के लिए सैनिकों की सहायता कर रहा है। मिस्री मीडिया के अनुसार मिस्र की सेना और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच खूनी झड़पों का सिलसिला अब भी जारी है।

अमेरिका तुर्की को विमान बेचने के लिए तैयार

सियासत (7 मई) के अनुसार अमेरिका ने तुर्की को एफ-16 युद्ध विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी समाचारपत्र 'डिफेंस न्यूज' के अनुसार यूक्रेन के युद्ध में तुर्की द्वारा सकारात्मक रूख अपनाया गया है। इस कारण अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की को अमेरिका के आधुनिकतम युद्ध विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। आज के हालात में यह जरूरी है कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए हम अपने दोस्त देशों को अधिक-से-अधिक मदद दें। तुर्की को यह अत्याधुनिक विमान बेचने का फैसला इसी सिलसिले में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अवधनामा (2 मई) ने तुर्की और सऊदी अरब के बढ़ते हुए नजदीकी संबंधों पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और तुकी के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच हुई मुलाकात के कारण तुर्की और सऊदी अरब के संबंधों में नए युग की शुरुआत हुई है। गौरतलब है कि 2020 में जमाल खशोग्गी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध बिगड़ गए थे, उसके कारण सऊदी अरब का तुर्की के साथ व्यापार 58 प्रतिशत तक कम हो गया था। तुर्की में अगले वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और इस समय वहां मूल्य वृद्धि जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण राष्ट्रपति एर्दोगान को पुनः चुनाव जीतने में काफी कठिनाई आ सकती है। हाल ही में तुर्की के विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी आई है और उसकी करेंसी लीरा का मूल्य तेजी से कम हुआ है।

कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव पर अब सऊदी अरब तुर्की को उसके वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में तेल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसलिए अब वह अपनी पूंजी का निवेश तुर्की में कर सकता है, जिसके कारण तुर्की आर्थिक संकट से उबर सकता है। एर्दोगान ने दावा किया है कि उनके सऊदी अरब के दौरे से दोनों देशों के बीच सैनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होगी। एर्दोगान ने सऊदी अरब और अमेरिका के दबाव पर यमन में हूती विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों की भी आलोचना की और ईरान को यह सलाह दी कि वह सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सुधारे, ताकि इस्लामिक जगत में जो विघटन पैदा हो रहा है उसे दूर किया जा सके। हाल ही में तुर्की ने कतर और सोमालिया में अपने कुछ सैनिक अड्डे स्थापित किए हैं। बदले हुए हालात के कारण तुर्की अब मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल और सऊदी अरब के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है।

आतंकी संगठन हमास के नेता इजरायल के निशाने पर

मुंबई उर्दू न्यूज (10 मई) के अनुसार इजरायल ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के नेताओं को अपना निशाना बनाने के लिए इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद को हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि गत महीने हमास ने इजरायल के कई स्थानों पर हमले किए थे, जिनमें कम-से-कम 19 इजरायली मारे गए थे। ताजा घटना इजरायली कस्बा एलाद में तब हुई जब हमास के कुछ आतंकवादियों ने एक इजरायली बस्ती पर हमला करके तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी और सात लोगों को घायल कर दिया। ब्रिटिश समाचारपत्र 'द टाइम्स' के अनुसार इजरायल ने अब हमास के उन नेताओं को अपना निशाना बनाने की योजना बनाई है जो कि विदेशों में गुप्त रूप से रह रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से सालेह अल-अरौरी नामक व्यक्ति शामिल है जो कि हमास का सैनिक एक्शन ग्रुप का प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कुछ मुस्लिम उद्योगपति भी हैं जो कि इजरायल में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए हमास को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं।

यह तथ्य सर्वविदित है कि हमास को ईरान द्वारा आर्थिक और सैनिक सहायता दी जाती है। इजरायल का इरादा हमास की कमर तोड़ना है। हमास गत कई दशक से फिलिस्तीन के अतिरिक्त उन क्षेत्रों में भी सक्रिय है जिन पर इजरायल ने युद्ध के दौरान कब्जा किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि इजरायली अपने नागरिकों की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं और उनके हत्यारों को चुन-चुनकर समाप्त किया जाएगा। इस लक्ष्य से एक नया संगठन सिविल नेशनल गार्ड बनाया जा रहा है। इसमें रिजर्व सैनिकों, गुप्तचरों और हथियार चलाने वाले प्रशिक्षित लोग शामिल होंगे। ब्रिटिश अखबार 'द टाइम्स' के अनुसार गत एक दशक में मोसाद हमास के अनेक प्रमुख नेताओं और उसे आर्थिक सहयोग देने वाले विदेशी नागरिकों का चुन-चुनकर मार चुका है। इनमें दुबई में हथियारों के विख्यात व्यापारी महमूद अल-मबूह, ट्यूनीशिया में ड्रोन विमानों के विशेषज्ञ मोहम्मद अल-जौरी और मलेशिया में रॉकेटों के इंजीनियर फादी अल-बतश की हत्याएं प्रमुख हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाने के लिए ईरान के चार प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की भी मोसाद के एजेंट हत्या कर चुके हैं। अब इजरायल की योजना ईरान के परमाणु उर्जा केंद्रों को अपना निशाना बनाने की है।

इत्तेमाद (9 मई) के अनुसार ईरान की राष्ट्रीय परिषद के प्रवक्ता ने अरब न्यूज को बताया कि ईरान परमाणु बम लगभग तैयार कर चुका है और इस संबंध में अनेक सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी परिषद ईरान में स्थित पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन के साथ मिलकर काम करती है।

संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख का निधन

संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। खलीज टाइम्स के अनुसार खलीफा 2004 से सत्ता संभाल रहे थे। इससे पूर्व उनके पिता शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के पहले प्रमुख थे, जिन्होंने 1971 में सत्ता संभाली थी और 2004 में उनका निधन हो गया था। खलीफा जायेद अल नाहयान को भारत का दोस्त माना जाता है और उन्होंने कई बार भारत का दौरा भी किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शेख काफी दिनों से बीमार थे। उनके निधन पर संयुक्त अरब अमीरात में 40 दिनों की शोक की घोषणा की गई है और तीन दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शेख के निधन पर दु:ख जताया है और उन्हें एक महान एवं दूरदशी नेता करार दिया है, जिनके नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में सुधार हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि पाकिस्तान एक दोस्त से वंचित हो गया है।

हाजियों के लिए स्मार्टफोन अनिवार्य

रोजनामा सहारा (14 मई) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि इस वर्ष जो व्यक्ति हज करने के लिए सऊदी अरब आएगा उसे अपने साथ स्मार्टफोन अनिवार्य रूप से लाना होगा। नए नियमों के अनुसार पैगम्बर की मस्जिद में 'नवाफिल' (ऐच्छिक नमाज) अदा करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन से निर्धारित समय लेना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें उमरा अदा करने और काबा की परिक्रमा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अनुमति लेनी होगी। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने उमरा और हज के लिए बच्चों को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार ने हाजियों के लिए 'तवाक्कलना' और 'ईटमर्ना' नामक दो मोबाइल एप्लिकेशन बनाए हैं जो गुगल

प्लेस्टोर से डाउनलोड की जा सकेंगी। मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए हाजियों के पहचान पत्र, पासपोर्ट और वीजा के नंबर देने होंगे। इसके अतिरिक्त तमाम हाजियों को अपना ईमेल एड्रेस बनाकर पासवर्ड सहित अपने पास सुरक्षित रखने होंगे और सऊदी अरब आने से पूर्व मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना सीखना होगा।

अन्य

तब्लीगी मरकज को खुला रखने का आदेश

सियासत (3 मई) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन बस्ती स्थित केंद्र को 14 अक्टूबर तक खुला रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस केंद्र को केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान 30 मार्च 2020 को बंद कर दिया था और बाद में इसके कुछ हिस्से को आवास के लिए खोल दिया गया था। इस वर्ष 16 मार्च को उच्च न्यायालय के निर्देश पर शब-ए-बारात के लिए इस केंद्र की दो मंजिलों को खोलने का निर्देश दिया गया था। बाद में सभी पांचों मंजिलों को खोल दिया गया। अब उच्च न्यायालय ने इस केंद्र को 14 अक्टूबर तक खुला रखने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि इस

केंद्र में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और नमाज को छोड़कर कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।

तब्लीगी जमात को राहत

अवधनामा (13 मई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को राहत दी है। जो विदेशी नागरिक ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन्हें सरकार तब्लीगी जमात के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए वीजा देगी। ये निर्देश 35 देशों के विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका के सुनवाई के दौरान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया है जिन विदेशियों को दस वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है उन्हें इस रियायत का कोई लाभ नहीं होगा।

उर्दू घर का निर्माण

औरंगाबाद टाइम्स (8 मई) के अनुसार उर्दू भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विभिन्न नगरों में उर्दू घर स्थापित करने का फैसला किया है। 6 मई की अधिसूचना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के जिस-जिस नगर में उर्दू भाषियों की संख्या सवा लाख से अधिक होगी वहां पर उर्दू केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल इन्हें मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, परभनी, अमरावती, अकोला, जलगांव, बुलढाना, धुले, पुणे और बीड़ में बनाया जा रहा है। उर्दू घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार मुफ्त ढ़ाई हजार मीटर भूमि उपलब्ध कराएगी और सरकारी खर्चे पर उर्दू घरों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पुस्तकालय, एक ऑडिटोरियम, दो

सेमिनार हॉल, दो स्टोर रूम, शौचालय, महिलाओं के लिए विश्रामकक्ष और कैंटीन के साथ-साथ पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व नांदेड शहर में एक उर्दू घर का निर्माण किया जा चुका है, जिसका नाम फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के नाम पर रखा गया है।

हाजियों के लिए विश्व स्तर का बैगेज

हमारा समाज (13 मई) के अनुसार केंद्रीय हज कमेटी ने यह घोषणा की है कि जो भारतीय नागरिक हज करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे उन्हें हज कमेटी की ओर से दो सूटकेस और एक कैरी बैग उपहार स्वरूप दिया जाएगा। कमेटी ने सभी हज यात्रियों को यह निर्देश दिया है कि व हज यात्रा क दौरान अपने निजी सूटकेसों का इस्तेमाल न करें। वरना उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी होगी। क्योंकि सऊदी सरकार इससे पूर्व ही यह घोषणा कर चुकी है कि सभी हाजियों को विश्व स्तर के सूटकेस और कैरी बैग इस्तेमाल करने की ही अनुमति होगी। इसलिए मोदी सरकार ने उपहार के तार पर सभी हज यात्रियों को दो-दो सूटकेस और एक-एक कैरी बैग उपहार स्वरूप देने का फैसला किया है। प्रत्येक सूटकेस की क्षमता 20 किलो की होगी। जबकि कैरी बैग में 7 किलो सामान ले जाया जा सकेगा। हज कमेटी ने यह भी कहा है कि प्रत्येक हज यात्री 19 मई 2022 तक हज कमेटी के खाते में एक लाख 20 हजार धनराशि पहली किश्त के रूप में जमा करवा दें।

बिना लाइसेंस गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मई) के अनुसार देवबंद के एसडीएम ने मांस विक्रेताओं की एक बैठक में कहा है कि जिन विक्रेताओं के पास मांस बेचने का लाइसेंस है, भविष्य में वही लोग अपनी दुकानों पर मांस की बिक्री कर सकेंगे। जो व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देवबंद में मांस विक्रेताओं की 32 दुकानें पंजीकृत हैं प्रत्येक दुकानदार को दुकानों पर काले शीशे लगाने होंगे, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करना होगा और दुकान के अंदर छह फीट तक टाइल्स लगाना होगा। अगर कोई विक्रेता गैरकानूनी तौर पर पशुओं का वध करता हुआ पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

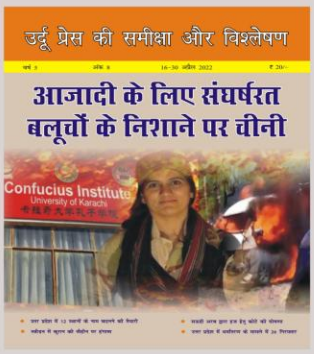

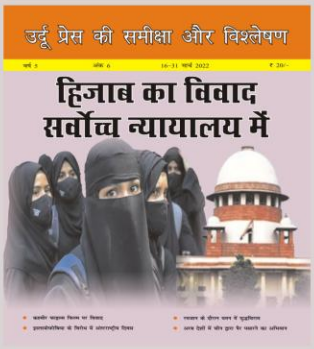

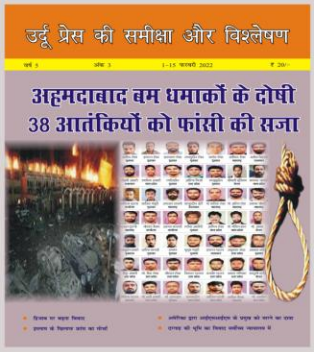

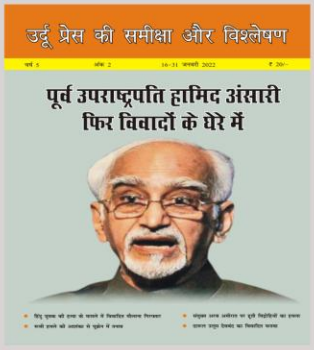

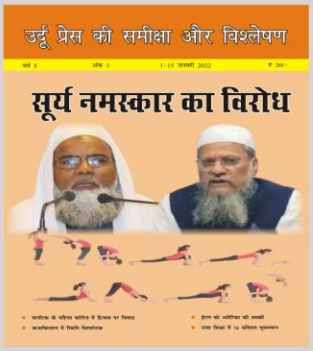

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रतीप्येम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in